न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / अपील / 2014	16.07.2014	12.03.2020

1. रामलाल आ. देवा जी जाति गुर्जर निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
2. श्रीमती कान्ति बाई विधवा रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
3. सत्यनारायण आ. रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
4. प्रेमशंकर आ. रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
5. देवकिशन आ. रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
6. अमृत आ. रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

–अपीलांटस

– बनाम –

1. घासी स्वभाविक पिता देवा जी गोद पुत्र बख्तावर जी जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री देवा जी पत्नी किशन जाति गुर्जर निवासी रंगबाड़ी, कोटा।
3. श्रीमती रामप्यारी पुत्री देवा पत्नी पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी माटून्दा तहसील, बून्दी।
4. मनभर पुत्री देवा पत्नी धनपाल जाति गुर्जर निवासी बरियान तहसील सांगोद जिला कोटा।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं. 157 दिनांक 14.06.2010
ग्राम नटावा, तहसील हिण्डोली।

उपस्थित–

1. अपीलांटस की ओर से – श्री रमेश कुमार जैन, अभिभाषक।
2. रेस्पोडेन्टस सं. 01 की ओर से– श्री कन्हैया लाल मीणा, अभि.
3. रेस्पोडेन्टस सं. 02 लगायत 04 की ओर से – श्री कपिल सैनी, अभि.

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 14.06.2010 ग्राम नटावा, तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तकरण देवा आ. गोरू गुर्जर के फौत होने के पश्चात घासी गुर्जर के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदार देवा आ. गोरू गुर्जर निवासी अणदगंज के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा सं. 09 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं. 10 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 81 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नटावा, तहसील हिण्डोली में विस्थित है। श्री देवा जी के रामकुवांर, अपीलान्ट रामलाल, रेस्पोडेन्ट घासी पुत्र तथा रेस्पोडेन्ट सं. 02 लगायत 04 पुत्रियां है एवं छोटी बाई देवाजी की विधवा है। देवा के पुत्र रामकुवांर का देहान्त हो चुका है। उसके वारिस अपीलान्ट सं. 03 लगायत 07 है। स्व. देवा जी के पुत्र रेस्पोडेन्ट घासी गुर्जर को देवा जी ने जाति रिवाज अनुसार उसकी बाल्य अवस्था में ही अपने भाई बख्तावर जी को गोद रख लिया था तथा बख्तावर जी व उनकी पत्नी ने घासी जी को अपनी गोद में लेकर तत्समय ही अपना पुत्र घोषित कर दिया था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट घासी जी श्री बख्तावर जी के गोद पुत्र है तथा उनका देवा जी की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है। देवा जी का स्वर्गवास लगभग 34 वर्ष पूर्व हो चुका है। अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं0 02 लगायत 04 को बिना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पो. घासी ने स्व. देवाजी गुर्जर के स्थान पर अपने नाम का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया है। उक्त नामान्तकरण से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं. 02 लगायत 04 के हित प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून व तथ्यो के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार साहब द्वारा स्व. देवाजी के स्वभाविक उत्तराधिकारियों की बिना जांच किये ही तस्दीक कर दिया गया है। अपीलान्टसगण व रेस्पोडेन्ट सं. 02 लगायत 04 अन्य स्थान पर निवास करते है। दिनांक 29.06.2000 को अपीलान्ट ग्राम नटावा में जाकर पटवारी जी से मिला तथा अपने खाते की नकल प्राप्त करने हेतु निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि स्व. देवाजी की भूमि अकेले घासी ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। तत्पश्चात दिनांक 30.06.2014 को नकल प्राप्त की। नकल प्राप्ति की दिनांक 30.06.2014 के बाद दिनांक

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

11.07.2014 को श्रीमान् के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अतः गुजरी अवधि को मुजरा फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करे। इस हेतु पृथक से अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2005 पेज 627, आर.आर.डी.–2008 पेज 804, आर.आर.डी.–2020 पेज 59, आर.आर.डी.–2008 पेज 842, आर.आर.डी.–2019 पेज 195, आर.आर.डी. –1998 पेज 319 (H.C.), आर.आर.डी.–1998 पेज 370, आर.आर.डी.–1998 पेज 368, आर.आर.डी.–1983 पेज 310 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो. सं. 01 ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम बनावटी व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील को पेश करने से पूर्व ही राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण स्वीकृत का ज्ञान था। बख्तावर जी ने घासी जी को कब गोद लिया, इसका कोई रेकार्ड पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच कर ही नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील मियाद बाहर होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो. सं. 02 लगायत 04 ने दोराने बहस व्यक्त किया कि देवाजी के वेध उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। सभी वेध उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान करने में उनको कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 157 देवा आ. गोरू के फौत पर घासी गुर्जर के नाम दिनांक 14.06.2010 को तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्टस सं. 01 द्वारा अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये उसे चलने योग्य नहीं बताया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो से हम पूर्णतया सहमत है। जिनमें प्रतिपादित किया गया है कि प्रभावित पक्ष को सुनना नितान्त आवश्यक है। बिना सुने आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। परिसीमा के बिन्दु पर प्रकरण की परिस्थिति तथा तथ्यों की जांच किया जाना चाहिये। अतः अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

प्रस्तुत अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित समझते है। प्रकरण में मृतक देवा आ. गोरू की विरासत से जो भूमियां घासी को प्राप्त हुई है, मूलतः विवाद यह ज्ञात होता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक देवा के वेध उत्तराधिकारियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण में घासी को बख्तावर जी के गोद चले जाने के तथ्य भी अपीलान्ट द्वारा प्रकट किये गये है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि घासी बख्तावर जी के गोद गया हो।

अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.06.2010 को निरस्त करते हुये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह मृतक देवा आ. गोरू के वेध उत्तराधिकारियों की जांच कर तथा घासी के बख्तावर के गोद जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करते हुये सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से अपना निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.20

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)